न्यायालय सहायक कलक्टर किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 292/1991

रामकरण पुत्र जमन माली निवासी मालियो की बाड़ी किशनगढ़ जिला अजमेर राज.(मृतक के स्थान पर)
1/1. श्री दीपचन्द पुत्र श्री रामकरण जाति माली
1/2. प्रहलाद पुत्र रामकरण जाति माली
1/3. प्रेम पुत्री रामकरण जाति माली
1/4. मैना पुत्री रामकरण जाति माली
1/5. सोनी पत्नी रामकरण जाति माली (मृतक) (तर्क)
सर्वनिवासीगण मालियो की बाड़ी किशनगढ़ जिला अजमेर राज.

वादीगण

बनाम

1. मु.नोरती बेवा श्योजीराम जाति माली निवासी मालियो की बाड़ी किशनगढ़ (मृतक के स्थान पर) वारिसान मौजूद प्रतिवादी 2 व 3 रेकार्ड पर
2. जगदीश पुत्र श्योजीराम जाति माली
3. रामेश्वर पुत्र श्योजीराम जाति माली
4. श्रीराम पुत्र जमन जाति माली (मृतक के स्थान पर)
4/1. मोहन पुत्र श्रीराम जाति माली
5. राम भरोस ऊर्फ शंकरलाल पुत्र जमन जाति माली
सर्वनिवासीगण मालियो की बाड़ी किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ

प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 14.01.2025

उपस्थितः श्री महावीर मालाकार वादीगण अभिभाषक
श्री गोविन्द दास प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय

संक्षेप में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वाद वकील श्री गोरीशंकर ने पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवदी श्योजीराम श्रीराम व रामभरोस उर्फ शंकरलाल पिसरान जमनजी माली सगे भाई है श्योजीराम का देहान्त हो चुका है प्रतिवादी 1 से 3 उसके वारिसान है जिनको पक्षकार बनाया गया है। वादी के पिता जमनजी व सांवतजी माली दोनो सगे भाई थे सांवतजी के कोई ओलाद न होने से उनके हिस्से की भूमि जमनजी, वादी व प्रतिवादीगण के पिता को विरासत में आई। वादी के पिता की मृत्यु पश्चात पुश्तैनी आराजी भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा मौके पर वादी एवं प्रतिवादी काबिज काश्त कर रहे है। भूमि का विवरणः-

खेवट खतौनी संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
नया 806 पुराना 734	2325	3 बीघा 17 बिस्वा	बंजर 2	36.86
	2326	12 बिस्वा	गै.मु. आबादी	
	2327	12 बीघा 17 बिस्वा	चाही ए 03 बीघा 1 बिस्वा	

सहायक कलेक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

			चाही प्रथम 02 बीघा 02 बिस्वा बा. ए. 18 बिस्वा बा. प्रथम 05 बीघा 17 बिस्वा, बंजर प्रथम 16 बिस्वा गै.मु. 03 बिस्वा	
	2329	03 बीघा 15 बिस्वा	बारानी प्रथम 02 बीघा 10 बिस्वा बंजर प्रथम 01 बीघा 05 बिस्वा	
	2356	04 बिस्वा	गै.मु. चाह	
	2357	01 बीघा	बंजर	
कुल किता	6	22 बीघा 05 बिस्वा		

वादी के पिता श्री जमनजी के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि का अमल दरामद मृतक के वारिसान के नाम किया गया तब सहवन से वादी के नाम का इन्द्राज रेवन्यू रेकार्ड में नही किया गया जबकि वादी अपने हिस्से 1/4 पर काबिज है व काश्त करता चला आ रहा है। वादी को दिनांक 04.06.1993 राजस्व रिकार्ड का इल्म होने व वादी का नाम इन्द्राज न होने का इल्म होने पर प्रतिवादीगण ने वादी को काश्त न करने हेतु परेशान करना शुरू कर दिया तथा जबरन बेदखल करने का प्रयास किया गया जिसे वादी ने निष्फल कर दिया तथा अपने नाम का इन्द्राज घोषणा व बंटवारा हेतु दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी वादी का हिस्सा देना नही चाहते तथा उसे जबरन काश्त कब्जे से बेदखल करना चाहते है इसलिए यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा है 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का है इस प्रकार उपरोक्त हिस्से अनुसार वादी अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा कराने का कानूनन अधिकारी है चूंकि उक्त भूमि वादी के पिता की पुश्तैनी है। प्रतिवादी गण नम्बर 1 से 5 वादी के उपरोक्त पैरा नम्बर 3 में वर्णित भूमि मे काश्तकारी हको को इन्कार करते हैं व उक्त भूमि का लगान अदा करने के विवाद उत्पन्न करते हैं ऐसी स्थिति में वादी अपना अलग खाता न० खसरा नम्बर व अलग लगान कायम करा उक्त भूमि का By metes and bounds बंटवारा करवाना चाहता है। अमी मिती जेठ सुदी 15 संवत 2050 दिनांक 04.06.1993 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 ने वादी के उपरोक्त पैरा नम्बर 1 में वर्णित भूमि में वादी के काश्तकारी हको को इन्कार किया व कहा कि वादी का उक्त भूमि में कोई अधिकार नही है व लगान अदा करने के बारे में विवाद उत्पन्न किया। उपरोक्त कारणों वे वाद पत्र के पैरा नम्बर 3 ने वर्णित भूमि का By metes and bounds विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि का अलग हिस्सा, अलग खाता खसरा नम्बर कायम किया जाकर वादी को उक्त भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रतिवादी नम्बर 06 भू स्वामी है इसलिए इसको भी इस प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। कारण वाद मिती के सुदी संवत 2050 दिनांकः 04.06.1993 को प्रतिवादीगण न० 1 से 5 ने वादी को उपरोक्त पैरा न 03 मे वर्णित भूमि में वादी के काश्तकारी हको का इन्कार किया तब योग्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन हुआ व उसके बाद दिन प्रतिदिन पैदा हो रहा है। प्रस्तुत वाद योग्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है क्यों कि उपरोक्त भूमि कस्बा किशनगढ़ ए तहसील किशनगढ़ में स्थित है जो योग्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। वाद अवधि मे है व इस पर नियमानुसार शुल्क के पूरे टिकट चस्पा है। वादी प्रार्थना करता है:– इस आशय की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी खारिज फरमाई जावे कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 3 में वर्णित भूमि के 1/4 हिस्से का वादी खातेदार है एवं वाद पत्र के पैरा नम्बर 3 में वर्णित भूमि का by metus and bounds विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से की 1/4 हिस्से की भूमि का अलग खाता, अलग खसरा नम्बरान कायम किये जाकर वादी के हिस्से का अलग अलग लगान तय किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि वादी के कब्जे में जावें इस प्रकार की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जाहिर की जावें। खर्चा हर्जा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें एवं अन्य हुक्म जो वादी के पक्ष में ही प्रदान करावें।

वादी का वाद दिनांक 08.07.1993 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 60/1993 पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 26.08.1993 को प्रतिवादी संख्या 01,02,04 की ओर से वकील श्री बनवारी दास पुरोहित उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। दिनांक 07.12.1993 को

सहायक कलेक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

संख्या 05 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल रामचन्दानी ने वकालतनामा पेश किया। 4.08.1994 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा जवाबदावा पेश किया जिसमें उनके द्वारा किया गया कि वाद पत्र के पैरा न० 1 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि वादी व ी श्योजीराम, श्रीराम व रामभरोसे उर्फ शंकरलाल जमन माली के जायन्दा पुत्र हैं व श्योजीराम र्गवास हो गया है परन्तु रामकरण, वादी, सांवतजी माली के गोद चला गया था स्पष्टीकरण कथन में अंकित है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 के यह कथन स्वीकार है कि जमनजी व जी सगे भाई थे तब सांवतजी के कोई सन्तान नहीं थी शेष कथन अस्वीकार है सांवतजी के से की कोई भूमि नहीं थी ऐसी सूरत में सांवतजी की भूमि जमनजी व वादी को मिलने का कोई न ही उत्पन्न नहीं होता सांवतजी ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद ले लिया था तथा उनके हावसान के बाद उनकी सम्पत्ति का एक मात्र वारिस वादी हुआ स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित । वाद पत्र के पेरा नम्बर 3 के कथन मिथ्या व निराधार है कि इस अनुच्छेद में वर्णित भूमि पुश्तेनी भूमि हो तथा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की है वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण श्योजीराम, श्रीराम व रामभरोसे के संयुक्त काश्त व खातेदारी में थी जिसमे से रामदेव प्रतिवादी श्रीराम से उसके हिस्से का मकान किशनगढ शहर वाला लेकर उसके बदले में संभला दी इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि मे 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी श्योजीराम का था स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित है। वाद पत्र के पैरा न० 4 के कथन के जवाब में लेख है कि वादग्रस्त भूमि में जमन जी के देहावसान के बाद श्रीराम, श्योजीराम व रामभरोसे उर्फ शंकरलाल के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोला गया था जो नियमानुसार सही खोला गया क्यों कि वादी संवत 1989 मे सावंत के गोद चला गया था वादी का गोद जाने के फलस्वरुप वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहा वादी का वादग्रस्त आराजी के किसी हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं था न है। वादी का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है राजस्व रेकार्ड मे जो प्रविष्टी जमनजी माली के देहावसान के बाद उपरोक्त प्रतिवादीगण के नाम की गई थी वह नियमानुसार सही की गई थी वादी का वादग्रस्त आराजी के किसी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त न कभी था न है एसी सूरत में वादी को बेदखल करने का तथा वादी द्वारा बेदखल के प्रयास को निष्फल करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता वादी का वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा न अधिकार नहीं है वादी का वादग्रस्त जमीन में कोई हिस्सा नहीं है एसी सूरत में वादी को वादग्रस्त आराजी के बारे में घोषणा करवाने व इसका विभाजन करवाने का बाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है वादी का बाद गलत बाकी बातो पर आधारित है जो निरस्तनीय हे स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित है। वादग्रस्त आराजी में वादी का कोई हिस्सा नहीं था न है ऐसी सूरत में वादी को जबरन बेदखल करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादी का वादग्रस्त आराजी मे 1/4 हिस्सा अथवा कोई हिस्सा नहीं है ऐसी सूरत में वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी हक घोषित कराने व वादग्रस्त आराजी में खातेदारी करवाने का अधिकारी नहीं है वादग्रस्त आराजी वादी के वास्तविक पिता जमन की पुश्तैनी भूमि नहीं है स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित है। वादी का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार नहीं है एसी सूरत में वादग्रस्त भूमि में वादी के काश्त के हको को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है वादी का उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं है अतः वादी द्वारा लगान की अदायगी का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है वादी वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाने व पृथक खाता, खसरा व लगान कायम करवाने का अधिकारी नहीं है। वादी का वादग्रसत आराजी में कोई अधिकार नहीं है ऐसी सूरत में मिती सुदी 15 सम्वत 2050 दिनांकः 04.06.1993 को वादी के काश्तकारी हको को अस्वीकार करने व लगान अदायगी के बारे में विवाद होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है वादी ने इस अनुच्छेद में मनगढन्त तारीख लिखी है वादी का बाद सारहीन है जो निरस्तनीय है। वादी वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने व वादग्रस्त आराजी का by metes and bounds विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नही है। वादी प्रतिवादी गण के खिलाफ कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद विशेष व्यय सहित निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें। वादग्रस्त भूमि के बारे में प्रतिवादी नम्बर 5 ने एक रेवेन्यू मुकदमा नम्बर 27/82 रामभरोसे बनाम श्रीराम वास्ते विभाजन जमीन पेश किया था जो दिनांक 28.08.1986 को डिकी किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी ने पेश की थी जो विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि के बारे में उपरोक्त पैरा नम्बर 25 के अनुसार निर्णय हो जाने से प्रस्तुत वाद अब कानूनन चलने योग्य नही है जो निरस्तनीय है। सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 3741 खसरा संख्या 1875 वर्तमान खसरा नम्बर 2329 की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो रेवेन्यू रिकार्ड में काना, सूजा, गंगाराम, रतना, मंगल माली के नाम अंकित थी उसके बारे में प्रतिवादी श्रीराम व स्व. श्योजी ने रेवेन्यू वाद संख्या 26/1962 श्योजीराम श्रीराम बनाम काना सूजा आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ में प्रस्तुत किया था जिसका फैसला श्योजी श्रीराम के पक्ष में दिनांक 09.07.1963 को हो गया था जिसमें उपरोक्त भूमि 3741 खसरा नम्बर 2329 का प्रतिवादी श्रीराम व श्योजीराम को खातेदार घोषित किया गया तथा इस प्रकार उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नही है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी रामभरोसे का भी कोई हिस्सा नही है क्योकि रामभरोसे ने प्रतिवादी नम्बर 4

के हिस्से का मकान जो छोटावास नया शहर किशनगढ में है प्राप्त कर लिया व वादग्रस्त उसका हिस्सा प्रतिवादी श्रीराम को सोंप दिया प्रतिवादी श्रीराम ने करीब 20000 रूपये का कुआ खुदवाया खेली, कोठा, दोरा ठहलिया व कोटडीया आदि करीब 35 वर्षो पूर्व बनवाये त जमीन प्रतिवादी श्रीराम व श्योजीराम के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 के एक मात्र काश्त व खातेदारी का है। वादग्रस्त जमीन के कब्जे काश्त व खातेदारी से वादी व प्रतिवादी 5 कोई सम्बन्ध नही है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 5 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा व र नही है। प्रतिवादी नम्बर 3 रामेश्वर ने नवीन खाता नम्बर 781 खसरा नम्बर 2325, 2326, 7, 2329, 2357 में उसका 1/9 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 जगदीश को जरिये पंजीकृत दस्तावेज 20000 रूपये में विकय कर दिया इस प्रकार स्व श्योजीराम के हिस्से की भूमि में अब प्रतिवादी र 3 का कोई हक हिस्सा अधिकार नही है उसके हिस्से की भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार तिवादी नम्बर 2 है। जमन जी ने वादी रामकरण को जाति रिति रिवाज के अनुसार भादवा सुदी विक्रम संवत 1989 दिनांक 05.09.1932 को सांवतजी को गोद लिया व सांवतजी ने वादी मकरण को गोद लिया व निमयानुसार गोद की रस्म अदा की ओर तब से वादी सांवतजी का त्तक पुत्र है सांवतजी के देहावसान के बाद रामकरण उनकी सम्पत्ति पर बहैसीयत दत्तक पुत्र काबिज हो गया जमनजी का देहावसान दिनांक 13.09.1958 हो गया था वादी जमनजी के जीवनकाल मे ही गोद चला गया था वादी का जमनजी की जमीन व सम्पत्ति चल व अचल पर गोद चले जाने से कोई सम्बन्ध नही रहा व जमनजी के देहावसान के बाद जमनजी की खातेदारी की भूमि का नामान्तरण श्योजी,श्रीराम,रामभरोसे के नाम नियमानुसार सही अंकित किया है जिसको चुनौती देने का वादी को कोई अधिकार नही है। सावंतराम ने वादी रामकरण पुत्र सांवतराम के नाम से दिनांक 18.09.1946 को एक मकान मोती पुत्र घासी माली बागडी से खरीद किया इस विकय पत्र में रामकरण के पिता नाम सांवतराम अंकित है तथा रामकरण ने उक्त मकान दिनांक 11.04.1975 को सुवालाल पुत्र नारायण माली को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बैचान किया उसमें स्वयं के पिता नाम सांवतराम अंकित किया तथा रामकरण आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान सरकार अजमेर में नोकरी करता था वहा के रिकार्ड में भी रामकरण के पिता का नाम सांवतराम अंकित है इस प्रकार वादी सांवतराम का दत्तक पुत्र है वादग्रस्त भूमि में सांवतरामजी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही था वादग्रस्त भूमि खसरा 1875 आदि के अलावा अन्य जमनजी के खातेदारी की भूमि थी जिसमें उक्तकारण से वादी कोई हक हिस्सा अधिकार नही है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि जो जमनजी के खाते में थी उनके देहावसान के बाद श्योजीराम, श्रीराम व रामभरोसे के नाम अंकित हो प्रतिवादी श्रीराम ने उक्त पैरा नम्बर के मालिक करीब 35 वर्ष से पूर्व कुआ आदि खुदवाया तब से वादग्रस्त कथित आराजी श्रीराम व श्योजीराम के कब्जे में ही है तथा वादी वर्षो से राजकीय नोकरी में कार्यरत रहा किशनगढ से बाहर निवास करता था इस प्रकार वादी का उक्त में 11 वर्षो से अधिक कब्जा न होने से वादी उक्त भूमि में यदि हक भी है तो स्वतः ही कानूनन समाप्त हो गये तथा प्रतिवादी श्रीराम आदि का 35 वर्षो से कब्जा मुखालफाना होने से बाद कानूनन चलने योग्य नही है अतः निरस्तनीय है। वादी का वाद सुविधा मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से निरस्तनीय है अतः निवेदन है कि वादी का वाद विशेष व्यय सहित निरस्त फरमाया जावें

दिनांक 16.02.1995 को नोरती का नाम तर्क करने की प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 30.03.1995 को वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया। दिनांक 28.04.1995 को नोरती का नाम तर्क करवाने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया तथा नोरती के वारिसान को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। दिनांक 07.07.1995 को नोरती के वारिसान बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की दी गई। दिनांक 02.08.1995 को मृतक नोरती के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 17.08.1995 को एल.आर. की ओर से वकील श्री श्याम मनोहर पुरोहित ने अन्डरटेकिंग दी गई। दिनांक 12.08.1996 को प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि श्री सांवतजी माली के हिस्से की न तो कोई भूमि थी एवं न ही उनके हिस्से की कोई भूमि श्री जमन माली के अधिकार में आई। वादअधीन भूमि का जमन ही के देहावसान पर उत्तरकर्ता प्रतिवादी श्री राम एवं श्योजीराम के नाम विरासत का सही नामान्तरण खोला गया था, उपरोक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं था वादी संवत 1989 में जाति के रिती रिवाज के अनुसार सांवत जी माली के गोद चला गया था, तब से लेकर आज तक वादी सांवतजी का पुत्र माना जाता रहा है, वादअधीन भूमि में वादी का कोई भी हक अधिकार हिस्सा शेष नहीं है। श्रीमान वादी को उसके पिता श्री जमना जी ने जाति के रिती रिवाज के अनुसार भादवा बदी 05 संवत 1989 दिनांक 05.09.1992 को सांवत जी की गोद में बिठाकर गोद संस्कार कर दिया था। वादी रामकरण तब से लेकर आजतक सांवतजी का पुत्र माना जाता है तथा सांवतजी की चल अचल सम्पति पर वादी रामकरण काबिज काश्त है। दिनांक 18.09.1946 को मोती माली से एक मकान रामकरण पुत्र सांवत माली के द्वारा क्रय किया गया तथा दिनांक 11.04.1975 को पुनः उक्त

रामकरण पुत्र सांवत माली के द्वारा विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय किया गया जिससे वादी जी का पुत्र होना सिद्ध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जे खर्चे के फरमाया जावे।

19.01.1998 को वाद में तनकीयात तैयार कर शामिल किये गये। दिनांक 25.09.1999 को की साक्ष्य ली गई तथा दस्तावेज पर प्रदर्श अंकन करवाये गये। पी.डब्ल्यू 01 रामकरण , पी. 2 छीतर प्रदर्श 01 नकल सेटलमेन्ट, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3, राजीनामा 4, बंटवारा प्रदर्श 5, जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7, जमाबन्दी सम्वत 2044 2047 प्रदर्श 8। दिनांक 07.08.1999 को वादी की साक्ष्य बन्द की गई। दिनांक 11.10.1999 को तिवादी संख्या 04 के वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश किया। दिनांक 19.04.2000 को प्रतिवादी संख्या 04 की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत वकील वादी ने अनापत्ति जाहिर की जिससे की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का स्वीकार किया गया। दिनांक 18.01.2001 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 को नोट प्रेस किया गया। दिनांक 17.03.2001 को प्रतिवादी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 239 राज.का.अधि. के तहत पेश किया। जिसे वकील उभयपक्ष की बहस के आधार पर 28.02.2001 को खारिज किया गया। दिनांक 19.07.2001 को प्रतिवादी के गवाहान की साक्ष्य ली गई तथा प्रदर्श अंकन किया गया जो इस प्रकार है जमाबन्दी सम्वत 2027 प्रदर्श ए.01, जमाबन्दी खसरा नं० 1876 प्रदर्श ए. 2, खसरा गिरदावरी, मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी प्रदर्श ए. 3 से प्रदर्श ए. 11, मतदाता सूची वर्ष 1984 प्रदर्श ए. 12, मतदाता सूची वर्ष 1988 प्रदर्श ए. 13, मतदाता सूची वर्ष 1993 प्रदर्श ए. 14, नकल निर्णय सन् 1963 प्रदर्श ए. 15, नकल डिक्री सन् 1963 प्रदर्श ए. 16, नकल मिलान क्षेत्रफल भू संशोधन प्रदर्श ए.17नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण प्रदर्श ए. 18, नकल जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2019 प्रदर्श ए. 19, नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 प्रदर्श ए. 20,नकल जमाबन्दी सम्वत 2041 प्रदर्श ए. 21।

दिनांक 19.07.2001 को वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि जिसपर वकील उभयपक्ष को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 77 सपठित आदेश 13 नियम 05 सी.पी.सी. का पेश किया जिसपर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा गवाह मोहन के पुनः परीक्षण के बयान कलम करवाये गये। दिनांक 22.09. 2001 को वाद पत्र को आदेश दिनांक 20.03.2001 के विरूद्व पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा तलब कर ली गई।

दिनांक 19.07.2001 को पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा निगरानी खारिज कर पुनः प्रेषित की गई। दिनांक 07.10.2004 को वकील प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 02 सी.पी.सी. सपठित नवीन संशोधित आदेश 08 नियम 01 ए (2)(3) का पेश किया। दिनांक 27.10. 2004 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. हेतु आगामी तारीख को रखी गई। दिनांक 18.12.2004 को राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश क्रमांक 23.11.2004 की पालना में अप्रार्थी प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10. 2004 के साथ प्रस्तुत अभिलेख रिकार्ड पर लिये गये तथा पत्रावली वास्ते जिरह हेतु नियत की गई। दिनांक 24.01.2025 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 पर बहस सुनी गई तथा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। दिनांक 06.04.2005 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई तथा प्रदर्श ए12 से ए16 पर ए17 से ए21 का अंकन किया गया। दिनांक 08.07.2009 को वकील वादी ने फर्द दस्तावेज के साथ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 15.12.2008 की प्रति पेश की। दिनांक 16.06.2010 को वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसका जवाब वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.06.2010 को दिया गया। दिनांक 23.07.2010 को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सी.पी.सी. को खारिज किया गया। वकील वादी द्वारा वाद में लिखित बहस पेश की गई जो इस प्रकार है– वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि पटवार क्षेत्र किशनगढ़ में खसरा नम्बर 2325 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2326 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 2327 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2329 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा , खसरा नम्बर 2356 संख्या 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2357 रकबा 01 बीघा कुल रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि वादी के पिता जमनजी की खातेदारी की थी। वादी के पिता श्री जमन जी के मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का दाखिल खारिज मृत्तक जमन जी के वारितान के नाम खोला गया था मगर सहवन से दाखिल खारिज में वादी के नाम का इन्द्राज रह गया था तथा वादी का नाम जमाबन्दी खेवट खतोनी में इन्द्राज नहीं किया गया। वादी अपने 1/4 हिस्से पर काबिज है। वादी का 1/4 हिस्सा निम्न प्रकार

म, श्योजीराम, श्रीराम, रामभरोसे उर्फ शंकरलाल, जेठू गोद चला गया है। इस प्रकार राजी व चाह में वादी रामकरण का 1/4 हिस्सा है इस जमीन बाबत भी वादी एवं ण के मध्य राजीनामा जो प्रदर्श 4 है उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय राजस्व 29/80 में दिनांक 24.07.80 का है जिसमें प्रतिवादीगण व नोरती बेवाह श्योजीराम के है रामभरोसे पुत्र जमना जी का उपनाम शंकर लाल था। शंकरलाल के भी हस्ताक्षर है मा में नोट लगा हुआ है। नोटः– रामभरोसे पुत्र जमना जी का उपनाम शंकरलाल है। रनामा आपसी बंटवारा दिनांक 11.07.80 का पेश हुआ है जो प्रदर्श 5 है। प्रतिवादीगण राजीनामा र्श 4 व इकरारनामा बाबत आपसी बंटवारा प्रदर्श 5 से पाबन्द है। इकरारनामा आपसी बंटवारा में ज नम्बर 2 पर लाईन नम्बर 6 में लिखा है कि श्योजीराम का 1/4 हिस्सा, श्रीराम का 1/4 हिस्सा, रामभरोसे उर्फ शंकरलाल का 1/4 हिस्सा व रामकरण का 1/4 हिस्सा रहेगा। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें वादी के पक्ष में इस न्यायालय से दिनांक 01.03.1996 को किशनगढ की आराजी खसरा नम्बरान 2325, 2326, 2327, 2328, 2356 कुल किता 6 कुल रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में 1/4 हिस्सा तक वादी को काश्त करने में बाधा नही डाले प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा प्रतिवादीगण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.1996 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 05.03.1999 को प्रतिवादीगण की अपील खारिज कर दी थी तथा राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय में लिखा है कि पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा व इकरारनामा में यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को उनके पिता के जीवन काल में ही विवादास्पद भूमि में हिस्सा दे दिया जिससे उनका कब्जा साबित है। वाद के दौरान प्रतिवादिया नोरती की मृत्यु हो गई थी तथा उसके वारिसान को रिकार्ड पर ले लिया गया था। जमना जी व सावंत जी दोनो सगे भाई थे। सांवत जी के कोई सन्तान नही थी इस कारण बारहवे के रोज सांवत जी की पाग वादी रामकरण को बंधवाई थी मगर पाग दस्तुर हो जाने से रामकरण सांवत जी का लडका नही बन गया था। न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा वादी की अन्य के यहाँ गोद जाने के सम्बन्ध में कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तथ्य को राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय में भी माना है। इस मुकदमें में गोद बाबत कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। प्रतिवादी गण ने अपने जवाब दावे में मुख्य रूप से वादी को सांवता के गोद जाने व जमना जी की जमीन में उसका कोई हिस्सा नहीं होने की बात कही है तथा वादी को गोद जाने का मामला होने से इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है व दावा काबिल खारिजी के है । वादी का वाद खारिज करने की प्रार्थना की है। वाद के दौरान श्रीराम व श्योजी की मृत्यु हो गई थी और वारिसान रेकार्ड पर आ गये थे । वाद में निम्न तनकियात बनाई गईः–

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक है
2. आया वादी तनकी नं० । उसके पक्ष में निर्णित होने की स्थिति मैं उक्त भूमि का विभाजन कराकर 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. आया वादी रामकरण सांवत जी माली के गोद चला गया था इस कारण उसका वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व नहीं रहा ।
4. आया भूमि वाद पेरा नम्बर 3 वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की है।
5. आया वाद क्रमांक 27/82 के निर्णय के कारण वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है।
6. आया वाद संख्या 27/72 के निर्णय में भूमि खतरा नम्बर 374/1 वर्तमान नं0 2329 के श्रीराम व श्योजी राम खातेदार कृषक घोषित हो चुके है इस कारण इस भूमि का विभाजन नही हो सका है।
7. आया भूमि मुतदाविया में रामभरोसे का कोई हिस्सा नही है क्योकि उसने अपने हिस्से के एवज में मकान प्राप्त कर लिया है।
8. आया वाद ग्रस्त भूमि में सांवतराम का कोई हिस्सा जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।
9. आया वादी का 12 साल से कब्जा न होने से वादी के हित समाप्त हो गये है।
10. आया न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नही है क्योकि वाद में गोद का प्रश्न उपस्थित है जो सिविल न्यायालय के अधिकार का है।
11. अनुतोष
12. आया प्रतिवादी वाद पत्र के पैरा नम्बर 19 के अनुसार वादी रामकरण सांवत जी के दिनांक 05.09.1932 को गोद चला गया था इस कारण वादी का जमन जी की कृषि भूमि व सम्पति में कोई हक नही रहा

सहायक कलेक्टर
किशनगढ (अजमेर)

अ प्रतिवादी वाद पत्र के पैरा नम्बर 20 के अनुसार प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का
ी है बल्कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है जिसका दावा पर क्या असर है।
नकी नम्बर 1 आया वादी वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक है। इस तनकी
को सिद्ध करने भार वादी पर है। वादग्रस्त आराजी जमन जी माली की खातेदारी की है।
जमन जी के चार लडके थे। रामकरण, श्योजीराम, श्रीराम, रामभरोसे उर्फ शंकरलाल, इस
प्रकार विवादित आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा है। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण द्वारा लिखा
हुआ इकरारनामा बाबत आपसी बटवारा हुआ था जो 11.7.80 का है तथा न्यायालय में पेश
हुआ है जो प्रदर्श 5 है इसी प्रकार राजस्व मुकदमा नम्बर 29/80 में 24.7.80 को राजीनामा
हुआ था जिसमें प्रतिवादी गण के हस्ताक्षर है जिसमें वादी का बराबर का हिस्सा माना हुआ है
जो प्रदर्श 4 है। वादी के स्वयं के बयान कराये है। तहरीरी दस्तावेजात पेश किये है।
सेटलमेन्ट खतौनी की नकल प्रदर्श 01 है। मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 है ।
वादी ने शपथ पूर्वक अपने बयान में कहा है कि उसका 1/4 हिस्सा है। जमाबन्दी की नकल
सम्वत 2024 से 2027 जो प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 है। जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 प्रदर्श 8
है। इस प्रकार वादी का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा है तथा वादी 1/4 हिस्से का
सहखातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है अतः यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण
निर्णित परमाई जावें । तनकी नं० 2:– आया वादी तनकी नं०। उसके पक्ष में निर्णित होने की
स्थिति में उक्त भूमि का विभाजन कराकर 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी
नं० 1 में निवेदन किया जा चुका है कि वादी 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित करवाने का
अधिकारी है इसलिए भूमि विभाजन में 1/4 हिस्से की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः
यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित परमाई जावें । आया वादी रामकरण सांवत
जी माली के गोद चला गया था इस कारण उसका वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व नहीं रहा।
इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने कोई पुख्ता दस्तावेजी
गोदनामा पेश नहीं किया है तथा **giving and taking** देना साबित किया है। महज बारहवे
के रोज पाग का दस्तूर कर देने से गोद नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी ने पंजीकृत
गोदनामा पेश नहीं किया है इस कारण वादी सावता जी के गोद जाना नहीं माना जा सकता
अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी बहक वादी निर्णित फरमाई जावें। आया भूमि वाद पैरा नं 3
वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तेनी भूमि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की है। तनकि नं०
1 में निवेदन किया जा चुका है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है तथा जमन जी की है
जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है तथा वादी 1/4 हिस्से का सहकृषक है इस कारण वादग्रस्त
भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तेनी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है । वाद कमांक
27/82 के निर्णय के कारण वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है। इस तनकी को सिद्ध करने का
भार प्रतिवादी पर है। वाद संख्या 27/82 में वादी पक्षकार नहीं था। वाद संख्या 27/82 में
निर्णय दिनांक 28.8.86 को राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 15.10.94 को निरस्त कर दिया
था। वादी संख्या 27/82 का वर्तमान वाद पर कोई प्रभाव नहीं है इस कारण वर्तमान वाद
चलने योग्य है तथा यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित फरमाई जावें । वाद संख्या 62 के
निर्णय में भूमि खसरा नं0 374/1 वर्तमान नं० 2329 के श्रीराम व श्योजी खातेदार कृषक
घोषित हो चुके है इस कारण भूमि का विभाजन नहीं हो सकता है । इस मुकदमें में राजस्व
मुकदमा नं0 29/80 के राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 24.7.80 को जो प्रदर्श 4 है
तथा इकरारनामा बंटवारा बाबत आपसी बंटवारा जो प्रदर्श 5 है उसमें प्रतिवादीगण पाबन्द है
तथा उनके विरुद्ध कानून शहादत की धारा 115 के तहत **estople** लागू होता है। प्रतिवादी
इकरारनामा बाबत आपसी बंटवारा जो प्रदर्श 5 है तथा राजीनामा प्रदर्श 4 है इससे पाबन्द
होने के कारण भूमि का विभाजन हो सकता है व वादी 1/4 हिस्से का खातेदार होने की
सूरत में भूमि का विभाजन कर सकता है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी फरमाई जायें।
तनकी संख्या 07 मुतदाविया भूमि में राम भरोसे प्रतिवादी का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि
उसमें अपने हिस्से के ऐवज मकान प्राप्त कर लिया है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार
प्रतिवादीगण का था। राजीनामा प्रदर्श 4 व इकरारनामा बाबत बंटवारा से 1/4 हिस्सा
रामभरोसे का बनता है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित फरमाई जावें। वादग्रस्त भूमि
सांवताराम का कोई हिस्सा है जिसमें वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि
जमनजी की है। वादी जमन जी का लड़का है इस कारण 1/4 हिस्से का खातेदार व भूमि
विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त राजीनामा प्रदर्श 4 में यह भी लिखा

है कि सांवत जी के नाम पर अन्य कोई भूमि हो तो उसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी वादी का 12 साल से कब्जा न होने से वादी के हित समाप्त हो गये है। वादग्रस्त आराजी 1/4 हिस्सा वादी का है तथा वादी 1/4 हिस्सा का सहखातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि दी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे एवं खातेदारी की है तथा हर इंच पर कानूनन खातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिए वादी का विवादग्रस्त आराजी में उसके हित समाप्त नहीं हुये है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णत फरमाई जावें। तनकी नं० 10 व 13 के बारे में साथ ही निवेदन किया है आया न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि वाद में गोद का प्रश्न उपस्थित है जो सिविल न्यायालय के अधिकार का है। प्रतिवादी प्रतिवाद पत्र के पैरा नं० 20 के अनुसार प्रस्तुत वाद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है जिसका दावा पर क्या असर है माननीय न्यायालय ने उपरोक्त दोनो तनकिया न० 10 व 13 का दिनाक 20.3.2001 को निर्णय कर दिया था कि तनकी नं० 10 व 13 को निर्णय करने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय का यह निर्णय प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 239 काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 20.3.2001 को दिया था। प्रतिवादी ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.3.2001 को राजस्व मण्डल से निगरानी की थी जो वहाँ पर खारिज हो गई थी । अतः यह दोनो तनकिया विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित फरमाई जावे । तनकि नं० 12– आया प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र संख्या 19 के अनुसार रामकरण सांवत जी के दिनांक 5.9.32 को गोद चला गया था इस कारण वादी का जमनजी की कृषि भूमि व सम्पत्ति में कोई हक नहीं रहा । प्रतिवादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिये पुख्ता तहरीर दस्तावेज यानि कोई पंजीकृत गोदनामा दिनांक 5.9.32 का पेश किया था और न **Giving & taking** साबित किया है तथा ताकि न मैं गोद के बारे में विशेष रूप से निवेदन किया जा चुका है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित फरमाईजावें । दादरसी – वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादी को विवादग्रस्त आराजी का 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किये जावे व by metes and bounds 1/4 हिस्से की भूमि विभाजन में दिये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावें ।

दिनांक 16.12.2014 को वकील प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सी.पी.सी. का पेश किया जिसपर दिनांक 04.05.2018 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। दिनांक 11.02.2019 को वकील प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया जिसपर दिनांक 15.07.2019 को वकील वादी की बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी की पत्नी सोनी पत्नी रामकरण 1/5 का नाम तर्क किया गया।
वकील प्रतिवादी द्वारा वाद में लिखित बहस पेश की गई जो इस प्रकार है: उपरोक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि वादी रामकरण द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद पत्र के पैरा नं० 3 में अंकित 22 बीघा 5 बिस्वा भूमि में उसके 1/4 हिस्से की भूमि का अलग खाता व खसरा नम्बर व वादी के 1/4 हिस्से की भूमि का Metes Bounds विभाजन करने की प्रार्थना की है। वादी ने वाद. पत्र के पैरा नं० 1 मैं यह स्वीकार किया है कि जमन जी का भाई सावत जी निसन्तान मर गया और वादी ने वाद पत्र पेरा नं० 4 में यह अंकित किया है कि जमन जी के देहावसान के बाद उनके खाते की भूमि का नामान्तरण उनके वारिसान के नाम कर दिया है परन्तु सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं किया गया है इस प्रकार वादी का यह स्वीकृत तथ्य है कि सांवत जी निसन्तान मर गये और वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है। प्रतिवादी नं० से 4 ने दिनांक 4.8.94 को जवाब दावा प्रस्तुत किया और प्रतिवादी ने जवाब दावे के पेरा नं० 19. में यह कथन अंकित किया है कि जमन जी का देहावसान दिनाक 13.9.58 को हो गया और प्रतिवादी नं० 4 श्रीराम का दौराने दावा देहावसान हो गया। इसके बाद श्रीराम के वारिसान् द्वारा दिनांक 18.1.2001 को जवाब दावा पेश किया जो जबाब दावा मूलतः प्रतिवादी नं0 4 श्रीराम के जबाब दावे के अनुसार ही है। प्रतिवादी श्रीराम के वारिसान द्वारा अपने जवाब दावे के पेरा नं० 17 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 3741 व एकीकरण नं० 1875 वर्तमान खसरा नम्बर 2329 की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में काना, सूजा आदि के नाम थी जिसके बारे में राजस्व वाद योग्य न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था जो मई 1963 में श्रीराम, रामभरोसे आदि के पक्ष में डिकी किया गया जिसकी डिकी उक्त वादीगण श्री रामभरोसे के पक्ष में जुलाई 1963 में जारी की गई और प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावें में यह भी उज्र लिया है कि वादी दिनांक 05.09.1932 को भादो सूदी पंचमी सम्वत 1989 में सांवत जी के गोद चला गया था इस प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में दो निम्न तथ्य उठाये है।

ालय के निर्णय दिनांक 29.05.1963 व डिकी दिनांक 09.07.1963 में अंकित 7 बीघा 10 वा भूमि प्रतिवादीगण के व्यक्तिगत खातेदारी की है जिसमें जमनजी का कोई सम्बन्ध नही। वादी रामकरण सांवता के गोद सम्वत 1989 में चला गया था उपरोक्त दोनो नवीन तथ्यो। जरिये प्रतिकार regoinder करना वादी के लिये आवश्यक था परन्तु वादी ने इन तथ्यो का ोई प्रतिकार नही किया और न ही जवाब-उल-जवाब पेश करके नवीन तथ्यो का खण्डन किया इस प्रकार यह तथ्य unrebutted होने से स्वीकृत माने जाने के योग्य है माननीय राजस्व मण्डल ने आर.आर.डी. 1988 पेज 462 में यह स्पष्ट रूप में अंकित किया है कि जब जवाब दावें में कोई विशेष उज लिया गया है उसका आर्डर 8 नियम 6 ए सी.पी.सी. के प्रावधानो के अन्तर्गत counter statement देना आवश्यक है और माननीय राजस्व मण्डल ने आर.आर.डी 1981 को उक्त न्याय निर्णय में rely किया है उपरोक्त दोनो न्याय निर्णयो से स्पष्ट है कि वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा उठाये गये नवीन तथ्यो का कोई प्रतिकार नही किया है। वादी के लिये यह आवश्यक था कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में किस कारण से अंकित नही हो सका इसको स्पष्ट नही किया है और पिछले 35 वर्षो में रिकार्ड दुरूस्ती के बारे में कोई कार्यवाही नही की जिससे भी वादी का वाद कमजोर बनता है। इस प्रकरण में योग्य न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.98 को निम्न तनकियात बनाई गई।

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक है।
2. आया वादी तनकी नम्बर 1 उसके पक्ष में निर्णित होने की स्थिति मैं उक्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन कराकर 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है ।
3. आया वादी रामकरण सांवत जी माली के गोद चला गया, इस कारण उसका वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व नहीं रहा ?
4. आया भूमि वाद पेरा नं० 3 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की है।
5. आया वाद क्रमांक 27/82 के निर्णय के कारण वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है ।
6. आया वाद संख्या 26/62 के निर्णय में भूमि खतरा नम्बर 374/1 वर्तमान नं० 2329 के श्रीराम व श्योजीराम खातेदार कृषक घोषित हो चुके है। इस कारण इस भूमि का विभाजन नहीं हो सकता है ?
7. आया भूमि मुतदाविया में रामभरोसे का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि उसने अपने हिस्से के एवज में मकान प्राप्त कर लिया है ।
8. आया वादग्रस्त भूमि में सांवतराम का कोई हिस्सा था जिस वादी प्राप्त करने का अधिकारी है ।
9. आया वादी का 12 साल से कब्जा नहीं होने से वादी के हित समाप्त हो गये है।
10. आया न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि वाद में गोद का प्रश्न उपस्थित है जो सिविल न्यायालय के अधिकार का है ।
11. अनुतोष
12. आया प्रतिवाद पत्र के पेरा नं० 19 के अनुसार वादी रामकरण सांवत जी के दिनांक 05.9.32 को गोद चला गया इस कारण वादी का जमनजी की कृषि भूमि व सम्पत्ति में कोई हक नहीं रहा ।
13. आया प्रतिवादी का के पैरा नं 20 के अनुसार प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र का है जिसका दावे पर क्या असर है। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्न गवाहन व दस्तावेज पेश किए है। पी. डब्ल्यू 01 रामकरण , पी.डब्ल्यू. 2 छीतर

1. नकल सेटलमेन्ट प्रदर्श ।
2. नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3
3. राजीनामा प्रदर्श 4
4. बंटवारा प्रदर्श 5
5. जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7
6. जमाबन्दी सम्वत 2044 ते 2047 प्रदर्श 8

प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्न गवाहन व दस्तावेज पेश किए है।
डी. डब्ल्यू 01 मोहन लाल मोहन लाल के बयान योग्य न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 19.7.2001, 27.7.2001 व 18.12.2004 को रिकार्ड किए गए। डी.डब्ल्यू. 2 सुन्दर

1. जमाबन्दी सम्वत 2027 प्रदर्श ए. 01
2. जमाबन्दी खसरा नं० 1876 प्रदर्श ए. 2
3. खसरा गिरदावरी, मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी प्रदर्श ए. 3 से प्रदर्श ए. 11
4. मतदाता सूची वर्ष 1984 प्रदर्श ए. 12
5. मतदाता सूची वर्ष 1988 प्रदर्श ए. 13
6. मतदाता सूची वर्ष 1993 प्रदर्श ए. 14
7. नकल निर्णय सन् 1963 प्रदर्श ए. 15

नकल डिक्री सन् 1963 प्रदर्श ए. 16
नकल मिलान क्षेत्रफल भू संशोधन प्रदर्श ए.17
नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण प्रदर्श ए. 18
नकल जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2019 प्रदर्श ए. 19
नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 प्रदर्श ए. 20
3. नकल जमाबन्दी सम्वत 2041 प्रदर्श ए. 21

उपरोक्त तथ्यों व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, मौखिक व दस्तावेज, के आधार पर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

तनकि नं० 1 :-इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने वादग्रस्त कृषि आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषित करने की मांग की है और वाद पत्र के पेरा संख्या 3 व 4 में वादग्रस्त कृषि आराजी को जमन जी के खातेदारी/पुश्तैनी होने का कथन अंकित किया है। इसके समर्थन में वादी ने सेटलमेन्ट खतौनी प्रदर्श। पेश की है उस अनुसार जमन जी के खाते में केवल 12 बीघा 17 बिस्वा ही अंकित है जो कि वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में 22 बीघा 5 बिस्वा भूमि जमन जी के खातेदारी में होने का कथन किया है। वादी ने इस बाबत कोई स्पष्टीकरण वाद पत्र में अंकित नहीं किया है और न ही कोई साक्ष्य पेश की है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 01 दस्तावेज के आधार पर जमन जी के खातेदारी की कुल 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही माने जाने योग्य है। वादी स्वयं के शपथ पूर्वक बयानो में भी इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि वाद पत्र के पेरा संख्या 3 में अंकित सम्पूर्ण कृषि आराजी जमन जी के खातेदारी की है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए 01 से प्रदर्श ए.11 के आधार पर सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी की माने जाने योग्य है। वास्तविक तथ्यों के आधार पर वादी जमन जी के बड़े भाई सावता जी का दत्तक पुत्र है और वादी अपने दत्तक पिता के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1247 में अपने 1/7 हिस्से को काश्त करता/करवाता आ रहा है। जिस बाबत् प्रतिवादीगण ने दस्तावेज प्रदर्श ए.19 से प्रदर्श ए 21 प्रस्तुत किए है अतः इस आधार पर वादी वादग्रस्त कृषि आराजी में 1/4 हिस्से का सहकृषक नहीं है और न ही उसका वादग्रस्त कृषि आराजी में कोई हक, हिस्सा व अधिकार है। अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किए जाने योग्य है। तनकी नं० 2 :- इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है उपरोक्त तनकी नं० 01के विस्तृत विवेचन के आधार पर वादी वादग्रस्त भूमि का सहकृषक माने जाने योग्य नहीं है वरन् सांवता की कृषि भूमि खसरा नं० 1247 माने जाने योग्य है। रकबा 5 बीघा भूमि में 1/7 हिस्से का सहकृषक माने जाने योग्य है। अतः इस आधार पर तनकी नं० 2 वादी के विरूद्ध तय किए जाने योग्य है। तनकी नं० 3 :- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है । यह तनकी वादी के सावता जी के गोद चले जाने के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के जवाब दावे के पेरा संख्या 19 व 20 के आधार पर विरचित की गई है। उस अनुसार वादी का जमन जी की कृषि भूमि में कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं रहा है। वादी भादो सुदी पंचमी सम्वत 1989 दिनांक 5.9.1932 को सांवत जी के गोद चला गया था और गोद की रस्म में वादी के जाति रीति रिवाज अनुसार पाघ मोल्या बांधा गया व समाज में नारियल बाटे गए तथा जाति भोज किया गया इस तथ्य को वादी ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है इस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादीगण की स्वतन्त्र गवाह डी. डब्ल्यू 2 सुन्दर ने भी की है जो गोद की रस्म के समय मौके पर उपस्थित थी। डी. डब्ल्यू. 2 सुन्दर से इस बाबत कोई जिरह नहीं की गई है। इसलिए उसके बयान विश्वसनीय माने जाने योग्य है। वादी ने 21 वर्ष तक आयुर्वेद विभाग में नौकरी की है और सरकारी रिकार्ड में भी रामकरण वल्द सांवता अंकित है वादी सेवा निवृति के बाद से आज तक उसी नाम से पेंशन भी प्राप्त करता आ रहा है जिसे वादी ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। वादी ने अपने मतदान् का उपयोग भी रामकरण वल्द सांवता के नाम से ही किया है जो प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए. 12 से प्रदर्श ए. 14 से प्रमाणित है जो **public Record** है। वादी ने वर्ष 1946 में एक आवासीय मकान रामकरण वल्द सांवता के नाम से क्रय किया था जिस दिनांक 11-4-1975 को रामकरण वल्द सांवता ने सुवा लाल पुत्र श्री नारायण माली को विक्रय कर दिया जिसकी पोटो प्रति प्रतिवादीगण ने योग्य न्यायालय में पेश की है जो मार्क ए व बी. है। इस तथ्य को वादी ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रदर्श 4 इकरारनामा पेश किया है जो दो स्टाम्प पर अंकित है जिस पर ही वादी अपने अभिवचनों को मुख्य रूप में **Rely** करता है इस दस्तावेज के प्रथम पेरा में रामकरण वल्द सांवता अंकित है व तृतीय पेरा में वादी के सांवता जी के गोद बैठाने का कथन अंकित है जिसका तात्पर्य गोद जाने से ही है। इकरारनामा प्रदर्श 5 के दोनो स्टाम्प पर वादी रामकरण के हस्ताक्षर है। वादी ने इसके खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

नामा प्रदर्श 4 private Document है जिसे नियमानुसार साबित करना आवश्यक है। के प्रावधान अनुसार किसी दस्तावेज को प्रदर्श मार्क लगाने मात्र से प्रमाणित नहीं माना सकता है वादी ने उक्त दस्तावेज को साबित करने के लिए दस्तावेज के Attesting ness शंकर लाल कछावा व तुलसाराम माली को गवाह में पेश नहीं किया जो दस्तावेज तकमिल होने के तथ्य को स्पष्ट करते अतः उनकी साक्ष्य के अभाव में यह दस्तावेज तिवादीगण के विरूद्ध नही पढ़ा जा सकता है। वादी ने प्रदर्श 4 इकरारनामें में भी स्वयं को ांवता का पुत्र माना है जिस पर वादी के हस्ताक्षर है जो स्वीकृत तथ्य है। इसके समर्थन में निम्न न्याय निणर्य प्रस्तुत है आर. आर. डी. 1990 पेज 342 इस प्रकार उपरोक्त स्वीकृत तथ्यो के आधार पर वादी रामकरण सांवता का दत्तक पुत्र होना पूर्णतया प्रमाणित है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। इसके समर्थन में निम्न न्याय निर्णय प्रस्तुत है । आर. एल.डब्ल्यू. 2003131 Raj पेज 1891 प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण ने प्रदर्श ए.17 के प्रदर्श ए. 21 तक प्रस्तुत किए है उस अनुसार वादी रामकरण सांवता के गोद जाने के बाद उनके कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी काश्त करता आ रहा है जो कृषि भूमि गुन्दोलाव तालाब में घूमटी के पास खसरा नम्बर 1247 में स्थित है जिसमें रामकरण का 1/7 हिस्सा है। इस कृषि भूमि को वर्ष 2003 कन्हैया लाल पुत्र भंवर लाल माली को काश्त हेतु दी थी और कन्हैया लाल ने इस बाबत शपथ पत्र भी योग्य न्यायालय में दिनांक 16.10.2004 को प्रस्तुत किया था जो न्यायालय की पत्रावली में रिकार्ड पर है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान् की साक्ष्य पेश हुई है उस आधार पर वादी रामकरण सांवता जी के करीब 73 वर्ष पूर्व गोद चला गया था और यह गोद काफी पुराना है तथा गोद के सम्बन्ध में Direct Evidence मिलना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण के समान अन्य प्रकरण में यह मत व्यक्त किया है कि गोद के सम्बन्ध में थोडी सी साक्ष्य भी काफी मानी जा सकती है । इसके समर्थन में निम्न न्याय निर्णय प्रस्तुत है । आर.एल.डब्ल्यू. 1954 पेज 563 ए. आई. आर. 1925 प्रिवी कौन्सिल पेज 201 अतः डी.डब्ल्यू. 2 सुन्दर के विश्वसनीय य बयान व वादी की स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी के Adopation की अवधारणा कायम की जा सकती है। प्रतिवादी गण ने गोद के सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेज योग्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए है वादी ने इसके खण्डन में कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं की है।

वादी ने प्रस्तुत वाद योग्य न्यायालय में दिनाक 02/07/93 को प्रस्तुत किया जिसका एक मात्र आधार प्रदर्श 4 इकरारनामा दिनाक 11/07/80 है जिस पर वादी के हस्ताक्षर है। इस दस्तावेज में वादी ने स्वयं को सावता का पुत्र होना स्वीकार किया है। यह स्वीकारोक्ति clear unequivocally है इसलिए यह स्वीकारोक्ति वादी के विरूद्ध सांवता के पुत्र होने की सबसे श्रेष्ठ साक्ष्य है इसके अतिरिक्त वादी ने शपथ पूर्वक योग्य न्यायालय में ध्यान दिया है कि उसने रामकरण वल्द सावता के नाम से आयुर्वेद विभाग में नौकरी की है और आप उसी नाम से पैशन भी प्राप्त कर रहा है इसलिए वादी के विरूद्ध यह अवधारणा कायम किए जाने योग्य है कि वादी सांवता का दत्तक पुत्र है। और वादी में इस साक्ष्य का खंडन भी नहीं किया है। इसलिए यह प्रमाणित माने जाने योग्य है कि वादी सावता का ही दत्तक पुत्र है। इन तथ्यों का एक प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ए.आई.आर. 1977 SC पेज 1724 में पेरा 15 में यह मत व्यक्त किया है कि जहां दस्तावेज में clear a unequivocally addmission हो उसको Best Evidence माना जाना चाहिए । इसलिए वादी कानून सांवता का दत्तक पुत्रः होने माना के तथ्य का प्रतिकार करने से कानूनन Estoppal है। इस कारण दावे में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 4 मार्क ए व बी. के आधार पर वादी सावता का दत्तक पुत्र माने जाने योग्य है। हिन्दू विधि के अन्तर्गत दत्तक पुत्र को वास्तविक औरत पुत्र की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए उसकी वल्दीयत के पहले दत्तक लिखा जाना कानूनन आवश्यक नही है। आर. एल. डब्ल्यू. 1954 पेज 563 के न्याय निर्णय के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोकरी के आधार पर गोद के के तथ्य को साबित माना है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के द्वारा तनकी नं० 3 पूर्णतया सिद्ध की है अतः उपरोक्त न्याय निर्णयों को मध्यनजर रखते हुए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्ध तय किए जाने योग्य है ।

तनकी नं० 4 :-इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी न० 3 में विस्तार से अंकित किये गये तथ्यों के आधार पर वादी का वादग्रस्त कृषि आराजी में कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है। अतः यह ताकि वादी के विरुद्ध तय किए जाने योग्य है ।

तनकी नं० 5 :-इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस तनकी के सम्बंध में स्वयं वादी ने प्रदर्श 5 योग्य न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.80 नोरती बनाम श्रीराम की नकल पेश की है जिसके द्वारा नोरती का दावा खारिज किया गया जिसमें वादी भी पक्षकार था इस कारण यह तनकि भी वादी के विरूद्ध तय किये जाने योग्य है।

तनकी नं० 6 :-इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है । प्रतिवादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए योग्य न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.5.63 की नकल

ए. 16, पेश की है जिससे वादग्रस्त भूमि मैं से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण को
कगत खातेदारी की होना प्रकट होता है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी गण के पक्ष में
ये जाने योग्य है। तनकी नं० 7 :–इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर
प्रस्तुत प्रकरण में रामभरोसे के वारिसान साक्ष्य में नहीं आये है और प्रदर्श 4 में वर्णित
गोकृत तथ्यो के आधार पर यह तनकी सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की है। इस बिन्दू
तो तय करने का योग्य न्यायालय को कानूनन कोई अधिकार नहीं है, फिर भी इस बिन्दू पर
दर्श 4 वादी के विरुद्ध स्पष्ट Admission है। इस कारण यह तनकी वादी के विरुद्ध तय
किए जाने योग्य है। तनकी नं० 8 :–इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी
ने इस तनकी वार में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किए है। व तनकी नं० 2 व 3 में
अंकित विवरण के अनुसार वादी के दत्तक पिता सांवता के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि
भूमि खसरा नम्बर 1247 रकबा 5 बीघा थी जिसमें सावता का 1/7 हिस्सा था और सांवता
की मृत्यु के बाद नियमानुसार उक्त हिस्सा वादी रामकरण के नाम अंकित हो गया जो प्रदर्श
ए.19 से प्रदर्श ए. 21 से पूर्णतया प्रमाणित है इस कारण वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता
सांवता का कोई हिस्सा व अधिकार नहीं था अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय किए जाने
योग्य है । तनकी नं० 9 :–इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी गण पर है ।
प्रतिवादीगण व वादी की साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि जमन का स्वर्गवास सम्वत 2015 में
हो गया तब से वादी का नाम खसरा गिरदावरी में कही भी अंकित नहीं है। इस प्रकार पिछले
करीब

52 वर्षों से वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है। इसके
अलावा वादी ने स्वयं अपने बयानो मैं स्वीकार किया है कि उसके 21 वर्षो तक राजकीय
आयुर्वेद विभाग में नौकरी की है। जिससे भी यह प्रकट होता है कि वादी का वादग्रस्त भूमि
पर कब्जा नहीं होना स्वयं सिद्ध है । इस प्रकार यह तनकी भी वादी के विरुद्ध प्रतिवादीगण
के पक्ष में तय किये जाने योग्य है। तनकी नं० 10, 11 व 13 :–इस तनकी में प्रतिवादीगण
द्वारा धारा 239 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत गोद बिन्दू को तय करने बाबत
पत्रावली सिविल न्यायालय को हस्तान्तरित करने का निवेदन किया जिसे योग्य न्यायालय द्वारा
दिनांक 20.3.2001 को खारिज कर दिया और उक्त आदेश की निगरानी पेश होने पर माननीय
राजस्व मण्डल अजमेर ने योग्य न्यायालय के आदेश दिनांक 20.3.2001 की पुष्टि कर दी।
अतः उक्त तनकीयो का निर्णय श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र में है अतः उपरोक्त माफिक लिखित
बहस श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है ।

हमारे द्वारा दिनांक 14.12.2024 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा
वाद, जवाबदावा एवं लिखित बहस के तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी की बहस के
उपरान्त हमारे द्वारा वाद का तनकीवार विवेचन किया गयाः–
तनकी संख्या 01 : आया वादी वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक है
विवेचनः– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी ने वादग्रस्त कृषि आराजी में
से विरासत के आधार पर 1/4 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा हेतु हस्तगत वाद न्यायालय
हाजा में पेश किया है, वादी द्वारा इसके समर्थन में सेटलमेन्ट खतौनी प्रदर्श 01 नकल
सेटलमेन्ट प्रदर्श 01, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 02 व प्रदर्श 03 पेश किया है किन्तु वादी ने
विरासत का नामान्तरण पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त भूमि पैतृक है, वादी
द्वारा पेश दस्तावेज इकरारनामा बाबत आपसी बंटवारा प्रदर्श एक्स 05 जिसमें रामकरण के
स्वयं के हस्ताक्षर है में अंकन है कि सांवतजी के कोई सन्तान नहीं होने से जमनजी का बडा
लडका रामकरण उनके नाम बैठाया साथ ही वादी ने स्वयं अपने बयानों में इस तथ्य को
स्वीकारा है कि वादी के दस्तावेजात तथा प्रदर्श एक्स 05ए में वादी के पिता का नाम सांवता
ही लिखा हुआ है क्योंकि वादी ने उनकी पाग बांधी थी तथा सावंतजी के बारहवे में वादी का
दस्तूर पागडी हुआ था तथा मेरी 21 वर्ष की राजकीय सेवा तथा पेन्शन में भी पिता का नाम
सांवता ही लिखा हुआ है। हिन्दु उत्तराधिकार अधि. के तहत एवं समाज की रिती रिवाज के
तहत वादी सांवता के गोद चला गया था तथा वादी ने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में समस्त
दस्तावेजात में पिता का नाम सांवता ही लिखवाया है जिससे सिद्व होता है कि वादी सांवता
का ही दत्तक पुत्र है। वादी ने ऐसे कोई दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये
जिससे वादी जमन का पुत्र होना साबित हो, जब वादी जमन का पुत्र होना ही साबित नही है
तब वादी को वादअधीन भूमि में से पैतृकता के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं प्रदत्त किये
जा सकते। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 01 बहक प्रतिवादी विरुद्व वादी
निर्णित की जाती है।
तनकी संख्या 02 : आया वादी तनकी नम्बर 1 उसके पक्ष में निर्णित होने की स्थिति मैं उक्त
भूमि का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन कराकर 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी
है

सहायक कलेक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

न:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है किन्तु तनकी संख्या 01 की रूह में के प्रतिवादीगण के बहक निर्णित की गई है, वादी खातेदार नहीं है, राज. का.अधि. 1955 प्रावधानानुसार खातेदार नहीं होने से वादी वादअधीन भूमि का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स ाजन कराकर 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के धार पर तनकी संख्या 02 बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

नकी संख्या 03 : आया वादी रामकरण सांवत जी माली के गोद चला गया, इस कारण सका वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व नहीं रहा ?

विवेचन:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से स्वीकारा है कि वादी भादो सुदी पंचमी सम्वत 1989 दिनांक 5.9.1932 को सांवता के गोद चला गया था और गोद की रस्म में वादी के जाति रीति रिवाज अनुसार वादी ने उनकी पाग बांधी थी तथा सावंतजी के बारहवे में वादी का दस्तूर पागडी हुआ था तथा मेरी 21 वर्ष की राजकीय सेवा तथा पेन्शन में भी पिता का नाम सांवता ही लिखा हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादीगण की स्वतन्त्र गवाह डी. डब्ल्यू 2 सुन्दर ने भी की है जो गोद की रस्म के समय मौके पर उपस्थित थी। वादी ने अपने मतदान् का उपयोग भी रामकरण वल्द सांवता के नाम से ही किया है जो प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए. 12 से प्रदर्श ए. 14 से प्रमाणित है। सांवता की भूमि जो वादी को प्राप्त हुई, में भी वादी का नाम रामकरण वल्द सावंता अंकित है। वादी ने वर्ष 1946 में एक आवासीय मकान रामकरण वल्द सांवता के नाम से क्रय किया था जिस दिनांक 11-4-1975 को रामकरण वल्द सांवता ने सुवा लाल पुत्र श्री नारायण माली को विक्रय कर दिया जिसकी पोटोप्रति प्रतिवादीगण ने न्यायालय में पेश की है जो मार्क ए व बी. है। इस तथ्य को वादी ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रदर्श 4 इकरारनामा पेश किया है जो दो स्टाम्प पर अंकित है इस दस्तावेज के प्रथम पेरा में रामकरण वल्द सांवता अंकित है व तृतीय पेरा में वादी के सांवता जी के गोद बैठाने का कथन अंकित है जिसका तात्पर्य गोद जाने से है। इकरारनामा प्रदर्श 5 के दोनो स्टाम्प पर वादी रामकरण के हस्ताक्षर है। वादी ने इसके खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। वादी ने प्रदर्श 4 इकरारनामें में भी स्वयं को सांवता का पुत्र माना है जिस पर वादी के हस्ताक्षर है जो स्वीकृत तथ्य है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण ने दस्तावेजात प्रदर्श ए.17 के प्रदर्श ए. 21 तक प्रस्तुत किए है उस अनुसार वादी रामकरण सांवता के गोद जाने के बाद उनके कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी काश्त करता आ रहा है जो कृषि भूमि गुन्दोलाव तालाब में घूमटी के पास खसरा नम्बर 1247 में स्थित है जिस में रामकरण का 1/7 हिस्सा है। इस कृषि भूमि को वर्ष 2003 कन्हैया लाल पुत्र भंवर लाल माली को काश्त हेतु दी थी और कन्हैया लाल ने इस बाबत शपथ पत्र न्यायालय में दिनांक 16.10.2004 को प्रस्तुत किया था जो रिकार्ड पर है। वादी ने इसके खण्डन में कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं की है। इस कारण दावे में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 4 मार्क ए व बी. के आधार पर वादी सावता का दत्तक पुत्र माने जाने योग्य है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 03 बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 : आया भूमि वाद पेरा नं० 3 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की है।

विवेचन:- इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस बाबत न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई भी दस्तावेजात पेश नहीं किये जिससे सिद्व हो कि उक्त भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की है। तनकी संख्या 01, 02, 03 के बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की गई है उसी की रूह में तनकी संख्या 04 बहक प्रतिवादी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 : आया वाद क्रमांक 27/82 के निर्णय के कारण वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है

विवेचन:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी द्वारा वाद क्रमांक 27/1982 की नकल पेश की है जिसपर प्रदर्श अंकन नहीं है जिससे की सी.पी.सी. के प्रावधानानुसार उक्त नकल को साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 05 बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 06 आया वाद संख्या 26/62 के निर्णय में भूमि खतरा नम्बर 374/1 वर्तमान नं० 2329 के श्रीराम व श्योजीराम खातेदार कृषक घोषित हो चुके है। इस कारण इस भूमि का विभाजन नहीं हो सकता है -

विवेचन:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.05.1963 की नकल प्रदर्श ए. 16, नकल प्रदर्श ए. 17, पेश की है जिससे वादग्रस्त भूमि में से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि

वादीगण के नाम दर्ज की गई है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 06 प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 07– आया भूमि मुतदाविया में रामभरोसे का कोई हिस्सा नही है क्योंकि उसने अपने हिस्से के एवज में मकान प्राप्त कर लिया है
विवेचनः– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी द्वारा इस तनकी के समर्थन में कोई दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये, ना ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य पेश किये हो जिससे जाहिर हो कि वादअधीन भूमि में रामभरोसे का कोई हिस्सा नहीं हो। इस कारण यह तनकी बहक वादी के विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 08– आया वादग्रस्त भूमि में सांवतराम का कोई हिस्सा था जिस वादी प्राप्त करने का अधिकारी है
विवेचनः– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस तनकी के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किए है। राजस्व रिकार्ड से ताईद है कि वादअधीन भूमि जमनजी की है। जमन जी व सावंतजी भाई थे इस तथ्य को स्वयं वादी ने भी स्वीकारा है। तनकी संख्या 01, 02, 03 की रूह में एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधि. के तहत सावंतराम जी का जमन की की भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। सांवता की मृत्यु के बाद नियमानुसार उक्त हिस्सा वादी रामकरण के नाम अंकित हो गया जो प्रदर्श ए.19 से प्रदर्श ए. 21 से पूर्णतया प्रमाणित है इस कारण वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता सांवता का कोई हिस्सा व अधिकार नहीं था इस कारण यह तनकी बहक प्रतिवादी के विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 09– आया वादी का 12 साल से कब्जा नहीं होने से वादी के हित समाप्त हो गये है
विवेचनः– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है । प्रतिवादीगण व वादी की साक्ष्य से यह सिद्ध है कि जमन का स्वर्गवास सम्वत 2015 में हो गया तब से वादी का नाम खसरा गिरदावरी में कही भी अंकित नहीं है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है। प्रतिवादी ने इस तनकी के समर्थन में है। इस कारण यह तनकी बहक वादी के विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 10 व 13 – आया न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि वाद में गोद का प्रश्न उपस्थित है जो सिविल न्यायालय के अधिकार का है व आया प्रतिवादी का के पैरा नं 20 के अनुसार प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र का है जिसका दावे पर क्या असर है।
विवेचनः– वादी द्वारा हस्तगत वाद धारा 88, 53 राज.का. अधि. 1955 के तहत न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जो कि न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। वाद में गोद का प्रश्न है किन्तु वादी स्वयं गोदनामें के आधार पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर पैतृकता के आधार पर न्यायालय हाजा में खातेदारी की उदघोषणा पाने हेतु उपस्थित हुआ है। जहां तक गोद जाने अथवा गोदनामें को चुनौती देने का प्रश्न है उक्त बिन्दु सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। वाद विचाराण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा धारा 239 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत गोद बिन्दू को तय करने बाबत पत्रावली सिविल न्यायालय को हस्तान्तरित करने का निवेदन किया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.3.2001 को खारिज कर दिया और उक्त आदेश की निगरानी पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20.03.2001 की पुष्टि कर दी थी।

तनकी संख्या 12 आया प्रतिवाद पत्र के पेरा नं० 19 के अनुसार वादी रामकरण सांवत जी के दिनांक 05.9.32 को गोद चला गया इस कारण वादी का जमनजी की कृषि भूमि व सम्पत्ति में कोई हक नहीं रहा–
इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने इस तनकी के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किए है। किन्तु तनकी संख्या 01, 02, 03 से सिद्व है कि वादी सांवता के गोद चला गया था, हिन्दु उत्तराधिकार अधि. के तहत एवं समाज की रिती रिवाज के तहत वादी सांवता गोद चला गया था तथा वादी ने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में समस्त दस्तावेजात में पिता का नाम सांवता ही लिखवाया है जिससे सिद्ध होता है कि वादी

ता का ही दत्तक पुत्र है। वादी ने ऐसे कोई दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं ये जिससे वादी जमन का पुत्र होना साबित हो, जब वादी जमन का पुत्र होना ही साबित है तब वादी को वादअधीन भूमि में से पैतृकता के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दत्त किये जा सकते। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 12 बहक प्रतिवादी रुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

द में प्रस्तुत साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी तथा वाद के तनकीवार विवेचन के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खारिज वाद डिक्री पर्चा पृथक से तैयार किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ अजमेर